पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रीतम कुमार IAS

प्रकरण सं0 : 144/2023

अनवान :

1. विकास पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी ढाका तहसील भादरा।
2. सुनीता पत्नी रामकिशन जाति जाट निवासी ढाका तहसील भादरा।

:— **वादीगण**

बनाम

1. रामकिशन पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी ढाका तहसील भादरा।
2. उपासना पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी ढाका तहसील भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री सतवीर पूनियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मांगेराम हूड्डा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाका के खाता सं0 132/119 के खसरा सं0 114 की 0.051है0, ख0सं0 116 की 2.1500है0, ख0सं0 127 की 0.5440है0, ख0सं0 129/1 की 1.834है0, ख0सं0 137 की 3.377है0, ख0सं0 199/1 की 1.733है0 की कुल 9.6890है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन के नाम दर्ज 2/7 हिस्सा वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन का नाम कलमजन कर वादी सं0 1 विकास व वादी सं0 2 सुनीता को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Preetam

(प्रीतम कुमार) I.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ